रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3, 2000/माघ 14, 1921
No. 77] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 3, 2000/MAGHA 14, 1921

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2000

सा. का. नि. 86(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 36(क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2000 है ।

(2). इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ को प्रवृत्त होंगे ।

2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 और 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम 01जनवरी, 1996 से रखे जाएंगे और रखे गए समझे

जाएंगे, अर्थात् :—

"3. **वेतन** - अध्यक्ष, छब्बीस हज़ार रुपये का वेतन और एक हज़ार रुपये प्रतिमास विशेष भत्ते का हक़दार होगा, उपाध्यक्ष, छब्बीस हज़ार रुपये प्रतिमास वेतन का हक़दार होगा और सदस्य 22,400-600-26,000 रूपये प्रतिमास के वेतनमान में वेतन पाने का हक़दार होगा :

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा-निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य-सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ है और जो पेंशन या उपदान या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किन्हीं अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति फ़ायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है तो उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन की कुल रक़म या उपदान के समतुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किन्हीं अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों, यदि कोई हो, किन्तु सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, की कुल रक़म कम कर दी जाएगी ।

4. **मंहगाई-भत्ता**- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई सदस्य, अपने वेतन के समुचित उन दरों पर

महँगाई भत्ता प्राप्त करने का हक़दार होगा जो केन्द्रीय सरकार के 22,400-600-26,000 रुपये या अधिक वेतनमान में वेतन पाने वाले ग्रुप ''क'' अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।''

3. उक्त नियमों में नियम 4क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा और 1 अगस्त, 1997 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"4क. **नगर प्रतिकरात्मक भत्ता**-अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष और कोई सदस्य अपने वेतन के समुचित उन दरों पर नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने का हक़दार होगा जो केन्द्रीय सरकार के 22,400-600-26,000 रूपये या अधिक वेतनमान में वेतन पाने वाले ग्रुप ''क' अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।"

4. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (3) में "240" अंकों के स्थान पर "300" अंक रखे जाएंगे और 01 जुलाई, 1997 से रखे गए समझे जाएँगे ।

5. उक्त नियमों में, नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा और 01 अक्टूबर, 1997 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

" 11. **छुट्टी-यात्रा-रियायत**- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई सदस्य , उन्हीं दरों पर और उसी वेतनमान में तथा उन्हीं शर्तों पर छुट्टी-यात्रा-रियायत का हक़दार होगा जो केन्द्रीय सरकार के 22,400-600-26,000 रुपये या अधिक वेतनमान में वेतन पाने वाले ग्रुप "व" अधिकारियों को अनुज्ञेय है । "

स्पष्टीकारक टिप्पण :-

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी-यात्रा रियायत और उन्हें अनुज्ञेय अन्य भत्तों के संबंध में पाँचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रभावी तारीखों का विनिश्चय किया है । केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को अनुज्ञेय वेतन और अन्य भत्तों आदि की बावत वेतन और भत्तों का पुनरीक्षण उन्हीं दरों, वेतन मान और अन्य शर्तों पर अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया है जो तुलनीय प्रास्थिति के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुज्ञेय है । अतः संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । इन नियमों के उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

[सं. ए-11014/13/98-प्र.अ.]

आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण - मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1092 (अ), तारीख़ 17 सितम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) सा. का. नि. 424 (अ) दिनांक 4-4-1998
(2) सा. का. नि. 1049 (अ) दिनांक 13-12-1989
(3) सा. का. नि. 520 (अ) दिनांक 13-11-1996

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2000

G. S. R. 86(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of sub-section (2), of section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules,2000.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for rules 3 and 4, the following rules shall be and shall be deemed to have been substituted on the 1st day of January,1996, namely:-

"3. Pay.- The Chairman shall be entitled to a pay of twenty-six thousand rupees plus a special allowance of one thousand rupees per mensem, a Vice-Chairman shall be entitled to a pay of twenty-six thousand rupees per mensem and a Member shall be entitled to a pay in the scale of pay of Rs.22,400-600-26,000 per mensem:

Provided that in the case of an appointment as Chairman, a Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension or gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pension equivalent to gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent to retirement gratuity, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness Allowance.- The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to dearness allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs.22,400-600-26,000 or above.".

3. In the said rules, for rule 4A, the following rule shall be and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of August,1997, namely:-

"4A. City compensatory allowance.- The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to city compensatory allowance appropriate to their pay at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs.22,400-600-26,000 or above."

4. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (3), for the figures "240", the figures "300" shall be and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July,1997.

5. In the said rules, for rule 11, the following rule shall be and shall be deemed to have been substituted on the 1st day of October,1997, namely:-

"11. Leave Travel Concession.- The Chairman, the Vice-Chairman and a Member shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing a pay in the scale of Rs.22,400-600-26,000 or above.".

Explanatory note.- With a view to implement the recommendations of the Fifth Central Pay Commission regarding Central Government employees, the scales of pay, leave, leave travel concession and other allowances admissible to them, the Central Government took decisions for different effective dates. In respect of pay and other allowances, etc. admissible to the Chairman, Vice-Chairman and Member of the Karnataka Administrative Tribunal, Central Government has decided to allow the revision of pay and allowances at the same rates, at the same scales and on the same conditions as are admissible to the Central Government employees of comparable

status. Therefore, it has become necessary to give the amendments retrospective effect. By giving this retrospective effect to the provisions of these rules, no one is likely to be affected adversely.

[No. A-11014/13/98-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

Foot Note.- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No.G.S.R. 1092 (E), dated the 17th September,1986 and subsequently amended vide notification Nos.-

(1) G.S.R. 424(E), dated 4.4.1988.
(2) G.S.R. 1049(E), dated 13.12.1989
(3) G.S.R. 520(E), dated 13.11.1996

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.